ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

अन्दर के पृष्ठों में...

जीविका ने दिया
जीने का आधार
(पृष्ठ – 02)

बकरी पालन से
स्वावलंबन की ओर अग्रसर
(पृष्ठ – 03)

अंधेरा जीवन हुआ रोशन
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

एक नई राह

माह – जनवरी 2024 ।। अंक – 30

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत सामाजिक समावेशन

राज्य सरकार द्वारा शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवारों का जीविकोपार्जन संवर्धन, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु राज्य योजना अंतर्गत चालू योजना सतत् जीविकोपार्जन योजना को जीविका के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों) मे क्रियान्वयन करने की स्वीकृति दिनांक 01.12.2022 को दी गई है।

इस योजना के अंतर्गत जीविकोपार्जन सूक्ष्म योजना के आधार पर सामुदायिक संगठनों द्वारा लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु 1,00,000/– से 2,00,000/– रूपए तक प्रति परिवार निवेश में सहयोग किया जाता है। आय की विभिन्न गतिविधियों हेतु लक्षित परिवारों को सूक्ष्म व्यवसाय, गव्य, बकरी एवं मुर्गी पालन, कृषि संबंधित गतिविधि एवं स्थानीय तौर पर उनकी अभिरुचि एवं क्षमता के अनुरूप जीविकोपार्जन गतिविधियों के विकास में सहयोग प्रदान किया जाएगा।

योजना का क्रियान्वयन जीविका के माध्यम से किया जा रहा है जिसमें मद्य–निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार का भी सहयोग मिल रहा है।

बिहार में सतत् जीविकोपर्जन योजना का कार्य विभिन्न स्तरों पर होता है। प्राथमिक स्तर पर, जीविका ग्राम संगठनों द्वारा गरीब परिवारों का चयन किया जाता है। उन्हें योजना के लाभ की जानकारी दी जाती है और उनकी सहायता के लिए आवश्यक दस्तावेज पूरा किया जाता है। द्वितीय स्तर पर, गरीब परिवारों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे जीविकोपर्जन के लिए तैयार हो सकें। तृतीय स्तर पर, उन्हें आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की सुविधा प्रदान की जाती है। चतुर्थ स्तर पर, उन्हें व्यवसाय संचालन में सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

योजना के अंतिम स्तर पर उन्हें वित्तीय सहायता और आवश्यक परिसंपति प्रदान की जाति है ताकि वे अपने व्यवसाय को सफल बना सकें। इसके बाद, उन्हें अपने व्यवसाय के प्रबंधन, उत्पादन, और विपणन के लिए उचित दिशा–निर्देश प्रदान किया जाता है।

यह योजना बिहार में गरीबी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है । इसके माध्यम से, लाखों गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। यह योजना समाज की अधिकांश असहाय वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है और उन्हें आत्म–सम्मान और आत्म–विश्वास की भावना प्रदान करती है।

राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सिटी मिशन मैनेजर के साथ–साथ जीविका कर्मियों का उन्मुखीकरण किया जा चुका है। साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सामुदायिक संगठनों के सदस्यों का प्रशिक्षण भी सम्पन्न किया जा चुका है। सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत सम्पूर्ण राज्य (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों) मे योग्य परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ाव हेतु जीविका संपोषित सामुदायिक संगठनों द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अवधि में सभी योग्य लाभार्थियों का समावेशन सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत किया जा रहा है।

एक कदम सफलता की ओर

यशोदा देवी, कटिहार जिला के हसनगंज प्रखंड के बलुवा पंचायत की रहने वाली है। दीदी की जिंदगी बचपन से ही संघर्ष भरा रहा है। उनकी शादी 17 साल की उम्र में ही वर्ष 2013 में कटिहार के हसनगंज प्रखंड बलुआ पंचायत में विकास मंडल से करा दिया था। उनके पति मजदूरी करके अपने परिवार का भरण–पोषण करते थे। नियमित काम नहीं मिलने के कारण परिवार का भरण–पोषण में कठिनाई होने लगा। उनके पति हिमाचल प्रदेश काम करने के लिए चल गए। पति की कमाई के साथ–साथ दीदी समूह से ऋण लेकर बकरी पालन कर अपने परिवार का देख–रेख कर रही थी जिससे दीदी का जीवन अच्छे से चल रहा था। वर्ष 2018 में दीदी के पति का बीमारी के कारण मृत्यु हो गयी। इसके बाद दीदी की जीवन मानो थम सी गयी। वह मजदूरी कर जिंदगी बिताने लगीं।

वर्ष 2019 में ग्राम संगठन के दीदियों द्वारा इनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में किया गया। चुनाव के बाद मास्टर संसाधन सेवी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मई 2020 में ग्राम संगठन की दीदियों द्वारा योजना के तहत 20,000 रूपये की परिसंपति से किराना दुकान संचालन हेतु दिया गया। जिसे दीदी मेहनत एवं लगन से अच्छे से चलाने लगी। बाद में ग्राम संगठन के द्वारा सिलाई मशीन भी दीदी को खरीद कर दिया गया। जिससे दीदी का कमाई और बढ़ गयी। दीदी ने 15,000 रूपये में बट्टा पर खेत लेकर खेती करने लगी। उन्होंने 20,000 रूपये में एक गाय भी खरीद ली।

अब दीदी का समाज में मान–सम्मान और बढ़ गयी। घर–परिवार के लोग भी इन्हें सम्मान देने लगे हैं। समाज और परिवार के लोग एवं दीदी की मंजूरी से उसके छोटे देवर हालदार मंडल से दीदी का पुन : विवाह कर दिया गया। आज दीदी काफी खुश है।

जीविका ने दिया जीने का आधार

आशा दीदी, पूर्णियाँ जिला के रुपौली प्रखंड की रहने वाली है। पति के देहांत के बाद इनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा। दीदी खुद जैसे–तैसे मजदूरी कर अपने परिवार के सभी लोगों का भरण – पोषण कर रही थी। दूसरे के खेत में दैनिक मजदूरी करती थी। अपर्याप्त आमदनी के कारण दूसरे के घरों में चौका – बर्तन कर दिन गुजार रही थी।

एक दिन उनके गाँव में सामुदायिक संसाधन सेवी के द्वारा समूह बनाया जा रहा था। समूह के फायदे को जानने के बाद आशा दीदी चंपा जीविका स्वयं सहायता समूह में जुड़ गई। सत्यम जीविका महिला ग्राम संगठन की बैठक में ग्राम संसाधन सेवी के द्वारा दीदी को सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत चयन करने का प्रस्ताव रखा गया जिसे ग्राम संगठन ने स्वीकृत कर लिया। ग्राम संगठन के द्वारा दीदी को जीविकोपार्जन निवेश निधि के रूप में 16000 रूपए दिया गया। उससे दीदी बकरी की खरीदारी की और बकरी पालन करने लगी। बकरी बेचकर अपनी बड़ी बेटी की शादी में सहयोग मिला है। बच्चों की पढाई भी अच्छे से करवा रही है। वर्तमान में इनका बेटा विज्ञान विषय से ईंटर की पढ़ाई कर रहा है। छोटी बेटी वर्ग 6 में पढ़ रही है। वही बकरी पालन करके दीदी ने 5 कट्ठा जमीन पट्टा पर ले कर खेती कर रही है। बकरी पालन को आधार बनाकर अपनी जीविकोपार्जन संवर्धन कर दीदी ने बैंक में 12,000 रुपये जमा कर रखी हैं। अब वह हसीं – खुशी की जिन्दगी जी रही हैं। दीदी कहती हैं कि "जीविका में जुड़कर ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ" जो कुछ मेरे पास है वो जीविका की ही देन हैं। समूह में जुड़कर मुझमें आत्मविश्वास बढ़ा हैं।

सतत् जीविकोपार्जन योजना ने दिलाया ताड़ी व्यवसाय से छुटकारा

मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड के कमल ग्राम निवासी राजकुमारी देवी, सीता जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। वर्ष 2017 में उनके पति का देहांत हो गया था। इसके बाद राजकुमारी देवी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति के देहांत के बाद अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। दो बेटी और दो बेटा के साथ दीदी संघर्ष कर किसी प्रकार जीवन यापन कर रही थी।

बिहार सरकार की पहल सतत् जीविकोपार्जन योजना ने उनकी जीवन में एक नया मोड़ लाया। इनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए इस इनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के तहत किया गया। इन्हें योजना के तहत जीविकोपार्जन अन्तराल राशि के रूप में 10000 रूपये की मदद मिली और इस सहायता राशि से इन्होंने अपना दुकान खोला जिसमें वह किराना स्टोर का सभी प्रकार का सामग्री बिक्री कर रही है। ग्राम संगठन की दीदियों ने रोजगार बढ़ाने में इनका बहुत साथ दिया। गांव की दीदियां उनकी दुकान से खरीदारी करने लगीं। दुकान चलाने से उन्हें आमदनी होने लगा। सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 20,000 रूपए की परिसंपति मिली। दीदी ने अपने दुकान को और बढ़ाया। अब दुकान से अच्छी आमदनी होने लगी जिससे वह अपने परिवार का भरण–पोषण कर रही है। वह अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भी भेज रही है। दीदी अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए समूह से 30,000 रूपए ऋण भी ली है। जिसे हर माह किस्तों में वापस कर रही हैं। राजकुमारी दीदी अब वह महीने में 10000 रूपए से 12000 रूपए रुपये की आमदनी कर ले रही है। इस रोजगार से जुड़कर अब अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है।

बकरी पालन से स्वावलंबन की ओर अग्रसर

भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत मथुरापुर गांव की रहने वाली पूर्णिमा देवी ने सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ लेकर अपने जीवन को प्रगतिशील बनाया है। आज वह बकरी पालन कर स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। इसके अलावा मनरेगा की मदद से इन्हें बकरी शेड बनवा कर दिया गया है। इससे बकरी पालन आसान हो गया है।

पूर्णिमा देवी ने सतत् जीविकोपार्जन योजना की मदद से बकरी पालन का कार्य शुरू किया था। आज उनके पास 15 बकरियां है। इन बकरियों को सुरक्षित रखने होने वाली परेशानी को देखते हुए इन्हें मनरेगा के तहत बकरी शेड बनवाया गया है। इस प्रकार जीविका और मनरेगा के अभिसरण से इन्हें इस योजना का लाभ दिलाया गया है।

उल्लेखनीय है कि सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़े कई परिवार गाय और बकरी पालन का कार्य करते हैं। ऐसे में जीविका एवं मनरेगा के बीच अभिसरण के तहत इन परिवारों को गाय और बकरी शेड का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे उन्हें पशुपालन में सुविधा हो। इस पहल से सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना आसान हुआ है। वर्तमान समय में भागलपुर जिले के सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़े 289 परिवारों के लिए बकरी शेड का निर्माण कराया जा रहा है।

पूर्णिमा देवी सतत् जीविकोपार्जन योजना से वर्ष 2020 में जुड़ी थी। योजना के तहत चयन के बाद उनका प्रशिक्षण कराया गया। इसके बाद ग्राम संगठन की मदद से उन्हें बकरी पालन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। उन्हें 4 बकरियां खरीद कर दी गई। चंदा देवी ने बकरी पालन का कार्य शुरू किया। इससे कुछ ही समय में बकरियों की संख्या बढ़ने लगी। आज सरमा देवी के पास 15 बकरियां हैं। इस व्यवसाय ने उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनने का रास्ता शिखाया है और वह खुशहाल जीवन जी रही है

अंधेरा जीवन हुआ रोशन

पिंकी देवी नवादा जिला के रोह प्रखंड के रोह गांव की रहने वाली है। पिंकी देवी के पति की कमाई से परिवार का भरण–पोषण ठीक से हो रहा था। एक दिन अचानक उनके पति का सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। पति के निधन के से पिंकी देवी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। खूद और दो छोटे बच्चों के भरण–पोषण की जिम्मेवारी पिंकी देवी के उपर आ गई थी। घर में खाने–पीने तक की दिक्कत हो गई थी। वह खुद जैसे–तैसे मजदूरी कर अपने परिवार का भरण – पोषण कर रही थी। जानकारी के अभाव में वह सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पाती थी।

इस बीच सामुदायिक संसाधन सेवी दीदियों द्वारा पिंकी देवी के परिवार के खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए लाभुक के रुप में चिन्हित किया गया। उजाला जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा 26 जुलाई 2018 को इन्हें अत्यंत गरीब एवं लक्षित परिवार के रूप में सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयन किया गया।

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत उनके क्षेत्र में कार्यरत जीविका कर्मी, ग्राम संसाधन सेवी और मास्टर संसाधन सेवी के द्वारा पिंकी देवी के घर जाकर उन्हें व्यव्साय करने के लिए प्रेरित किया गया। जिसके उपरांत पिंकी दीदी ने मनिहारी का व्यवसाय करने की इच्छा जाहिर की। उन्हें योजना के उन्हें क्षमतावर्धन और उद्यम विकास हेतु प्रशिक्षण भी दिलाया गया। मास्टर संसाधन सेवी के द्वारा ग्राम संगठन के जरिए से इनका सूक्ष्म नियोजन किया गया। योजना अंतर्गत विशेष निवेश निधि में प्राप्त 10,000 रुपये की राशि से इन्होंने अपने घर के एक हिस्से में दुकान के लिए काउंटर बना लिया।

उजाला जीविका ग्राम संगठन की खरीदारी समिति के द्वारा जीविकोपार्जन निवेश निधि मद की राशि 20,000 रुपये की मनिहारी सामग्री खरीदारी कर 28 जनवरी 2019 को पिंकी देवी का दुकान शुरु करवाया गया। इसके अलावा 7 माह तक प्रत्येक महीना 1,000 रुपये की राशि उन्हें दिया गया। वह अपने दुकान को पुरे लगन से चलाने लगीं। शुरुआत के वर्ष में औसतन मासिक आय 4000 – 4500 रुपये हो जाती थी। जिसमें निरंतर बढ़ोतरी होता गया। बचत के पैसे को वह अपने व्यवसाय में निवेश करती गई। समय के साथ वह मनिहारी के अलावा ,कपड़े की सिलाई तथा जेनरल स्टोर की सामान भी बेचने लगीं। अब वह प्रत्येक दिन 900 से 1100 रुपये की बिक्री कर लेती हैं। इससे वह अपना पूंजी को बचत करके परिवार को भी सही ढंग से भरण–पोषण कर रही हैं। पिंकी देवी का दुकान का कुल संपत्ति वर्तमान में 1,12,926 रुपये है। उन्हें प्रत्येक माह तकरीबन 7500–8000 रुपये की आमदनी हो जाती है।

व्यवसाय में निवेश के लिए पूंजी की जरूरत पड़ी तो 13 अप्रैल 2023 को योजना के तहत जीविकोपार्जन निवेश निधि की द्वितीय किस्त के रुप में 18,000 रुपये उन्हें पुन : प्रदान किया गया है।

पिंकी देवी निरंतर अपने दुकान को समृद्ध करने में जुटी हैं। इनकी 11 साल बेटी राजनंदनी एवं 9 साल का बेटा अंकित पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने आमदनी कर दो कमरे की छत की ढ़लाई भी करा ली है। पिंकी देवी कहती हैं कि जीविका ने सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़कर मेरे जीवन को संवारा है। मैं अपने व्यवसाय को और बड़ा कर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाना चाहती हूँ।

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, बेगूसराय
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार